



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 69 राँची, शुक्रवार

2 माघ, 1937 (श०)

22 जनवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

संकल्प

18 दिसम्बर, 2015

विषय:- राज्य विभाजन से अब तक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा विभिन्न सम्पदाओं के आवंटन में हुई अनियमितताओं की जाँच के संबंध में ।

संख्या-01/विविध (समिति)-03/2015-959--राज्य विभाजन के बाद अब तक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा विभिन्न सम्पदाओं के आवंटन में हुई अनियमितताओं की जाँच करने हेतु एक समिति के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

2. सरकार के स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य विभाजन के बाद अब तक किये गए, विभिन्न सम्पदाओं के आवंटन में हुई

अनियमितताओं की जाँच करने हेतु निम्नवत् रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|-------|--|---|------------|
| (i) | प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग | - | अध्यक्ष |
| (ii) | प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड | - | सदस्य सचिव |
| (iii) | सचिव, भवन निर्माण विभाग | - | सदस्य |
| (iv) | अपर वित्त आयुक्त, योजना -सह- वित्त विभाग | - | सदस्य |

3. उपर्युक्त समिति, तीन महीने के अन्दर अनियमितताओं की जाँच पूरी कर दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित करते हुए, संगत अनुशासनिक/विभागीय/कानूनी कार्यवाही की स्पष्ट अनुशंसा सरकार के समर्पित करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी.पी.एल. दास,

सरकार के अपर सचिव।
